



आवंटन से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	मुख्यण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	वर्गमान आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	अनुमानित मूल्य (रु.में) प्रति नग	पंजीकरण घनराशि (रु.में)
माधवपुरम, योजना संख्या-10, मेरठ, सेक्टर-4, (01 नग)	4/898 (GEN)	62.72	14560.00	913203.00	46400.00

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां

माधवपुरम, योजना संख्या-10, मेरठ, सेक्टर-1, (01 नग) (आवासीय मुख्यण्ड)	200 वर्ग मी.	1/1R-15 (GEN)	201.50	14560.00	2933840.00	14700.00
--	--------------	---------------	--------	----------	------------	----------

से बड़े मुख्यण्ड

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.में)	भूमि दर (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रु. लाख में)
शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8) सहारनपुर				
3B-05 (OBC) (Rtd. Govt. Employees)	202.00	---	36.82	1.84
3D-132 (OBC)	200.00	---	36.57	1.83
3D-135 (Displace person)	200.00	---	36.57	1.83

अशोक विहार योजना, खतौली

A-129 (GEN)	264.00	7840.00	20.70	1.04
-------------	--------	---------	-------	------

नोट (1) आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति आवेदक को सभागार अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाति छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। (2) आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों हेतु यदि आरक्षित वर्ग के आवेदकों द्वारा नीलामी में भाग नहीं लिया जाता है, तो सामान्य वर्ग के आवेदक भी आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी के माध्यम से निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियां

पलानपुरा योजना संख्या-1 (विवेक नगर), दुकान (कुल 02 नग) सहारनपुर				
S-19 (Gen.)	9.62	---	5.28	0.53
S-20 (Gen.)	14.196	---	7.68	0.77
शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8), होटल मुख्यण्ड (01 नग) सहारनपुर				
2A/H-1 (Gen./Corner)	8088.40	27104.00	2192.88	219.23

उपरोक्त सम्पत्तियों में एक ए.आर. 1.5 एवं ग्राण्ड कवरज 40 प्रतिशत तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार होगी।

शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8), व्यवसायिक सहारनपुर				
3D/CP-01(SC), CP-02 (SC)	321.30 से 511.12	24640.00 से 27104.00	79.17 से 138.54	1.92 से 13.86
CP-03 (Gen.), CP-04 (Gen.), CP-05 (Gen.), CP-06 (Gen.), CP-07 (Gen.)				

उपरोक्त सम्पत्तियों में एक ए.आर. 1.75 एवं ग्राण्ड कवरज 40 प्रतिशत तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार होगी।

अशोक विहार योजना, खतौली, व्यावसायिक मुख्यण्ड, सहारनपुर				
B.Com-2 O.B.C., B.Com-3 (Gen.)	78.20 से 882.20	19190.00 से 21110.00	15.07 से 186.24	1.51 से 18.63
B.Com-4 Gen., B.Com-5 Gen., B.Com-6 SC, B.Com-7 O.B.C., B.Com-8 S.C., B.Com-9 Gen., D/COM-01 (Corner), O.B.C., D.Com-02 (Gen)				

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियां

सम्पत्ति की संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.में)	भूमि दर (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रु. लाख में)
मंगलपुरा नगर, योजना संख्या-1, मेरठ : व्यावसायिक मुख्यण्ड सेक्टर-1 (05 नग)				
CP 481, CP SS-1 (SC)(C), CP SS-2 (GEN/CP SS-3 (OBC), CP- SS-4 (GEN) (C)	199.87 से 278.75	71680.00 से 78848.00	14612685.00 से 19980800.00	1461268.00 से 1998080.00
मंगलपुरा नगर, योजना संख्या-1, मेरठ : नव विकसित व्यावसायिक मुख्यण्ड सेक्टर-2 (03 नग)				
SCP-2/1 (GEN), SCP-2/2 (GEN), SCP-2/3 (GEN)	48.24 से 56.61	71680.00 से 71680.00	3457843.00 से 4057805.00	345784.00 से 405780.00

ट्रांसपोर्ट नगर, योजना संख्या-2, मेरठ : व्यावसायिक मुख्यण्ड (01 नग)

A-94	315.19	31360.00	9884358.00	988436.00
------	--------	----------	------------	-----------

शास्त्री नगर, योजना संख्या-3, मेरठ : व्यावसायिक मुख्यण्ड आई तथा एल ब्लॉक (02 नग)

आई ब्लॉक IS-116	156.00	47040.00	6359240.00	733824.00
आई ब्लॉक IS-116/2	128.00	47040.00	6021120.00	602112.00
एल ब्लॉक L-1185/2 (C)	77.76	51744.00	4023613.00	402361.00

उपरोक्त सम्पत्तियों में एक ए.आर. ग्राण्ड कवरज प्रतिशत उपविधि अनुसार तथा अधिकतम ऊँचाई 10.50 मी. है।

शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ : दुकानों के ब्लॉक (12 नग)				
K-1	8.062	-----	11057770.00	1105777.00
K-2,3, 4,10,12,15,16	9.099	-----	1248200.00	124820.00
K-17,18,22,25	8.131	-----	1115232.00	111523.00

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : मल्टीप्लेक्स/व्यवसायिक/नर्सिंग होम मुख्यण्ड (03 नग)

मल्टीप्लेक्स मू 2/M.P., 01 (C)	7300	32052.00	233979600.00	23397960.00
व्यवसायिक मुख्यण्ड सेक्टर 3 2CP-1, 2PR-1 (पार्किंग हेतु)	1701.50+ 203.50 =1905.00	32052.00	56327040.00	5632704.00
नर्सिंग होम मुख्यण्ड से.1 1 NH-01 (C)	374.85	32052.00	12014692.00	1108400.00

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 80 वर्ग मी. तक व्यवसायिक मुख्यण्ड सेक्टर-1 (10 नग)

1/CP-6 (GEN), 1/CP-8 (GEN), 1/CP-9 (GEN), 1/CP-10 (GEN), Sr. Citizen, 1/CP-11 (GEN), 1/CP-12 (GEN), (GEN), 1/CP-16 Sr. Citizen, 1/CP-15 (GEN), 1/CP-19 (GEN), 1/CP-20 (GEN)	78.00	29120.00	2271360.00	209700
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 100 से 300 वर्ग मी. तक व्यवसायिक मुख्यण्ड सेक्टर-1 (09 नग)				
1/CP-13 (C) (GEN), 1/CP-17 (C) (GEN), 1/CP-18 (C) (GEN), 1/CP-21 (C) (GEN), 1/CP-14 (C) (GEN), 1/CP-4 (GEN), 1/CP-3 (GEN), 1/CP-3 (GEN), 1/CP-5 (C)	110.50 से 292.50	29120.00 से 32032.00	3539536.00 से 9369360.00	326800.00 से 864900.00
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 301 वर्ग मी. से बड़े व्यवसायिक मुख्यण्ड सेक्टर-1 (04 नग)				
1/CP-1 (C) (GEN), 1/CP-22 (C) (GEN), 1/CP-23 (C) (GEN), 1/CP-27 (C) (GEN), 1/CP-24 (C) (GEN), 1/CP-26 (C) (GEN), 1/CP-25 (C) (GEN)	315.70 से 737.10	29120.00 से 32032.00	9207744.00 से 23610787.00	850000.00 से 2179500.00

जागृति विहार योजना संख्या-11, (विस्तार) मेरठ : ग्रुप हाउसिंग मुख्यण्ड (02 नग)

2/GH-1 (C) GEN	10400.00	25872.00	269068800.00	26906880.00
2/GH-2 (C) GEN	11000.00	25872.00	284592000.00	28459200.00

उपरोक्त सम्पत्तियों में एक ए.आर. ग्राण्ड कवरज प्रतिशत तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार है।

विशेष शर्त : जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में एक-32 एवं एक-64 प्रकार के प्लॉटों के प्रदर्शित मॉडल के अतिरिक्त विविध शुल्क के रूप में निम्न घनराशि भी जमा करनी होगी :-

विवरण	एफ-32	एफ-64
कापर्स फण्ड	25000.00	5000.00
जल संयोजन	1900.00	4500.00
विज्ञापन व्यय	कुल मूल्य का 0.25 प्रतिशत	कुल मूल्य का 0.25 प्रतिशत
सर्विस टैक्स	शासनादेश के अनुसार	शासनादेश के अनुसार

नोट : (1) माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ में व्यावसायिक मुख्यण्ड संख्या-2सीपी-1 किसका क्षेत्रफल 1701.50 वर्ग मी. है जिस पर उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा तथा 2सीपी-1 जिसका क्षेत्रफल 203.50 वर्ग मी. है, व्यावसायिक मुख्यण्ड संख्या-2सीपी-1 के साथ पाकिंग हेतु उपलब्ध है, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ (स्कूल मुख्यण्ड)

3NS-1 (Sec-3) PRIMARY	1691.70	15600.00	26390540.00	2639052.00
3NS-3 (Sec-3) NURSERY	894.00	15600.00	13946400.00	1394640.00
Sec-4 (Sec-4) PRIMARY	1575.00	15600.00	24570000.00	2457000.00

जागृति विहार योजना संख्या-11 (विस्तार), मेरठ (स्कूल मुख्यण्ड)

Sec-4 INTER	3327.40	9000.00	29946800.00	2994670.00
Sec-4 NURSERY	495.00	9000.00	4455000.00	445500.00

शिक्षण संस्थाओं के मुख्यण्डों जिनका पंजीकरण खोला गया है। (लीज पर)

मुख्यण्ड संख्या	मुख्यण्ड का स्तर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	वर्गमान आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	मुख्यण्ड का कुल मूल्य (रु.लाख में)	पंजीकरण घनराशि (रु.लाख में)
शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर : स्कूल मुख्यण्ड (लीज पर)					
SCHOOL(C)	PRIMARY	1844.94	13310.00	245.57	24.56
अशोक विहार योजना, खतौली : स्कूल मुख्यण्ड (लीज पर)					
ASCH-01 (C)	PRIMARY	1001.7	8470.00	84.85	8.49
D/SCH-02 (C)	NURSERY	599.37	8470.00	50.77	5.08

शैक्षिक मुख्यण्ड हेतु रु. 10.00/- सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, सहारनपुर कार्यालय में नकद जमा करके पुस्तिका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त कार पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के साथ रुपए 500.0/- का बैंक ड्राफ्ट सहित आवश्यक प्रपत्रों सहित संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शार्ट लिस्टिंग के उपरान्त 8वें/पात्र आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा। प्राप्त उच्चतम बोली पर परिषद मुख्यालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली अनावासीय सम्पत्तियां

मुख्यण्ड संख्या तथा आरक्षण श्रेणी	मुख्यण्ड की सं.	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. प्र.व.मी.)	टोकन घनराशि (रु.)
वसुधरा योजना, गाजियाबाद : (अनावासीय सम्पत्तियां)				
6/COMM-1D-A, 1D-B, 1DC, 1E (CONER) (GEN)	4	787.75	109312.00	31409800.00
व्यावसायिक 12 COMM-4C, COMM-1 (C) (O.B.C.)	1	354.04	120243.00	4257100.00
9 COMM-1 (C) (GEN)		3642.00	120243.00	43792500.00
ऑफिस कामिंग-3 (GEN)	1	808	109312.00	8832500.00
3/Office Comm-3 (GEN)				
संस्थागत 4/I.N.S.-6 (GEN)	2	3657.50	81984.00	29985700.00
4/I.N.S.-12 (GEN)		40368.31	से 2001.76	से 36689000.00
होटल 4/H-1 (GEN)	1	3558.30	120243.00	42786100.00
सामुदायिक केन्द्र (GEN)	1	1038.00	53680.00	5572000.00
नर्सिंग होम 2A/NH-2 (GEN)	1	1026.00	से 81984.00	से 841160.00
14/NH-2 (GEN)	1	866.25	90182.00	7812100.00
हेल्थ सेक्टर	2	3432.75	से 81984.00	से 28143100.00
Sec-1 (GEN) 3/H (GEN)		से 5232.52	से 81984.00	से 42643500.00

विद्यार्थ विहार योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियां

नर्सिंग होम 9/NH-1 (GEN)	1	3090.11	54600.00	16872000.00
कन्वेंस शॉप 9/CONV. SHOP (GEN)	1	2034.85	72800.00	14813710.00
व्यावसायिक मुख्यण्ड	14	440.00	से 72800.00	से 3203200.00
10/COM-1 (GEN), 7C/COM -8 (GEN), COM-9 (GEN), COM-9 (GEN), COM-10 (GEN), COM-10 (GEN), COM-11 (GEN), COM-12 (GEN), COM-13 (GEN), COM-14 (GEN), COM-20 (GEN), COM-21 (GEN), COM-22 (GEN), COM-23 (GEN), COM-24 (GEN), COM-25 (GEN)				
पेट्रोल पम्प (लीज पर) 10/F.S. (GEN)	1	1043.28	72800.00	7595100.00
ग्रुप हाउसिंग मुख्यण्ड 3GH-3(C), 3GH-6 (GEN)	1	12852.46	54600.00	7017500.00

युगु हाउसससगु भूखणुड 3G.1C-3(C).3G.H-6 (GEN) 1						12852.46	54600.00	7017500.00
मणुडोला वलहार योजुना, गाजुयाबाद : युगु हाउससगु भूखणुड								
युगु हाउससगु (GEN) 1B/GH-11, GH-16, GH-17, GH-30, GH-31	5	2400.00	से 3060.00	से 38640.00	से 42504.00	से 9273600.00	से 13006250.00	
युगु हाउससगु भूखणुड 1B/GH-21	1	2400.00		से 38640.00		से 9273600.00		
युगु हाउससगु भूखणुड (GEN) 1B/GH-8, GH-12, GH-13, GH-14, GH-18, GH-24, GH-25, GH-28	8	2400.00	से 3060.00	से 38640.00	से 42504.00	से 9273600.00	से 13006250.00	
युगु हाउससगु भूखणुड (GEN) 1B/GH-6, GH-17, GH-18, GH-19, GH-20, GH-22, GH-23, GH-27, GH-29, GH-32	12	2400.00	से 3180.00	से 38640.00	से 42504.00	से 9273600.00	से 13006250.00	

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : व्यावसायिक हाउसिंग मुख्यण्ड

व्यावसायिक मुख्यण्ड (GEN) 1B/COM-14, COM-16, COM-25, COM-29, COM-31	5	892.50	से 2432.50	से 51520.00	से 4598160.00
व्यावसायिक मुख्यण्ड (GEN) 1B/COM-13, COM-15, COM-17 COM-24, COM-26	5	892.50	से 2380.50	से 51520.00	से 4598160.00
व्यावसायिक मुख्यण्ड (GEN) 1B/COM-1, COM-18, COM-19, COM-20, COM-21, COM-22, COM-23, COM-27, COM-28, COM-30	10	892.50	से 4252.83	से 51520.00	से 4598160.00

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : छोटे व्यावसायिक मुख्यण्ड

व्यावसायिक (GEN) COM-4, COM-5 (FF), COM-7 (C), COM-8, COM-9, COM-10 (CZ), COM-13, COM-16 (CZ), COM-19 (CZ), COM-20, COM-22, COM-24, COM-25, COM-28, COM-29, COM-31, COM-35 (RGS)	1	50.00	से 83.50	से 51520.00	से 325091.00
व्यावसायिक (OBC) 4A/COM-1, COM-2, COM-3, COM-18, COM-21, COM-27 (C), COM-30, COM-32 (C) (FF), (CZ), COM-33, COM-31, COM-36 (RGS)	1	48.00	से 52.50	से 51520.00	से 257600.00
व्यावसायिक (SC) 4A/COM-6, COM-11, COM-12, COM-14, COM-15, COM-23, COM-25, COM-37 (C)	1	48.00	से 52.50	से 51520.00	से 257600.00

वसुधरा योजना, गाजियाबाद में व्यावसायिक दुकानें/वृत्त/समूची मार्केट मुख्यण्ड विस्थापितों के लिए आरक्षित

दुकानें (विस्थापित किसान)	42	2.83	से 21.91	6.59	से 17.22	5000.00
चबूतरें (विस्थापित किसान)	46	4.00	से 5.14	6.51	से 5.80	5000.00
समूची मार्केट (विस्थापित किसान)	46	7.43	से 21.97	8.12	से 24.42	5000.00

सबजो माकेट (विराथापित किसान)	46	7.43 से 21.97	8.12 से 24.42	5000.00
सम्पत्तियों की संख्या एवं आरक्षण श्रेणी	मुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु.) प्र.व.मी.	टोकन घनराशि (रु.)
वसुधरा योजना, गाजियाबाद : (आवासीय सम्पत्तियां)				
F-60 भूतल (GEN)	16वें/223,	98.68 से	6166600.00 से	308400.00
	236, 237, 240	218.35	8376600.00	से 635800.00
वसुधरा योजना, गाजियाबाद सेक्टर-15 शिखर एन्क्लेव (आवासीय सम्पत्तियां)				
2BH/K (6th, 2nd Floor) (GEN)	11, 1, 1	106.21 से	7020000.00 से	351000.00
3BH/K (9th Floor) (GEN)		144.21	से 9545000.00	से 477250.00
वसुधरा योजना, गाजियाबाद सेक्टर-4 सी दुर्बल आय वन (आवासीय सम्पत्तियां)				

नोट : शीघ्र ही 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत परिषद की रिकत सम्पत्तियों को लेने हेतु HDFC Bank के माध्यम से ऋण सेवा का आयोजन सेक्टर-16, ऑफिस काम्पलेक्स वसुधरा, गाजियाबाद में प्रातः 11 बजे किया जायेगा। मेले में इच्छुक आवेदकों द्वारा भाग लिया जा सकता है।

नीलामी हेतु नियम एवं शर्तः (1) व्यावसायिक सम्पत्तियों में एक ए.आर., संस्थागत मुख्यण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र मुख्यण्डों में एक ए.आर. एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (2) सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेशों/परिषद के प्रदर्शन समन्वयी विनियम एवं आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। (3) एकल/क्रेताओं को अनावासीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन घनराशि उपरोक्त/शासनादेश एवं कार्यालय से प्राप्त स्थापित कर तदनुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंक चेक अथवा लेन-देन की विधि का उपयोग कर पेश के पक्ष में देय हो आवेदन पत्र भरकर सूची नीलामी में भाग ले सकते हैं, सीलबद्ध कार्यालय दिवस में नीलामी के एक दिन पूर्व तक सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में दी जा सकती है। टोकन नीलामी तिथि को 10.00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गित किये जायेंगे। संस्थागत मुख्यण्डों की नीलामी में अत्यंत संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों में किसी क्षेत्रफल/सेक्टर में कमी बृद्धि हो सकती है। (4) व्यावसायिक मुख्यण्डों में आरक्षित मूल्य को आवेदकों द्वारा उ.प्र. सरकार के सचिव अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। (4) आवासीय सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ ईड संलग्न कर आयुष्य प्राप्य पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अवस्थक बच्चे के पास कोई भूमि/मुख्यण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कच्चा 50 प्रतिशत धारणा जमाने होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार शेष रकम खर्च करना करने पर पंजीकृत अनुबंध के माध्यम से दिया जायेगा। नीलामी-पुस्तिका को, 10.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवास आयुक्त महोदय को निना कोई कारण बिना रद्द करने की अस्वीकृत करने का अधिकार होगा एवं किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (नो) का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट : (1) मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-4 एवं स्थित नवविकसित 09 दुकानें एवं 02 व्यावसायिक ब्लॉक (प्रयम प्लॉट) का आखण भी किया जायेगा। (2) मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में स्थित आसरा टाईन-1 से 992, आसरा टाईन-2 से 211, सनना टाईन-1 से 166 एवं सनना टाईन-2 से 192 चार मंजिल भवन रिकत है इन भवनों को आवंटन प्रथम आगत, प्रथम प्रस्ताव पर अधीक्षण अधीनता, मण्डोला विहार गाजियाबाद द्वारा किया जायेगा। (3) शिखर एन्क्लेव में अतिरिक्त मुख्यण्ड के अतिरिक्त प्राथमिक, चारक फण्ड एवं विविध शुल्क की धाराओं द्वारा आसरा टाईन, सिस्की जमाने की सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है।

विशेष सूचना : परिषद के आवंटित/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निराकरण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद लखनऊ प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार/शुक्रवार को 'परिषद दिवस' का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के परिसर स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10:00 से 12:30 तक किया जायेगा। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

